राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968)

कोठारी आयोग द्वारा 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपने के लगभग 9 माह बाद भारत सरकार ने 5 अप्रैल 1967 को संसद सदस्यों की एक समिति का गठन कर उसे कोठारी आयोग के सुझावों पर गम्भीरता से विचार करने के पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने व उसके कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने का कार्य सौंपा गया। समिति ने शिक्षा के सभी स्तरों में गुणात्मक सुधार पर बल देते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्व निश्चित किये और 24 जुलाई 1968 को सरकार ने विधिवत घोषणा की।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 के मूलतत्व
Fundamentals Of National Edu. Policy 1968

शिक्षा और मानव तथा समाज में घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शिक्षा समाज को उन्नतशील बनाती है और उन्नतिशील समाज शिक्षा के स्तर को ऊँचा करके व्यक्ति के जीवन को सरल, सुखमय और प्रगतिशील बनाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी देश व समाज की तत्कालिक परिस्थितियों के संदर्भ में स्वयं विकसित होती है। किसी भी देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारण में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये —

1. इसका प्रत्यक्ष सम्बंध सभ्यता, संस्कृति, की

आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक वातावरण तथा परिस्थिति से हो।
(2.) शिक्षा नीति का आधार मातृभाषा हो।
(3.) शिक्षा का प्रत्यक्ष सम्बन्ध विकास तथा आधुनिकीकरण से होना आवश्यक है।
(4.) इसका स्वरूप व्यवहारिक, प्रयोगात्मक तथा कार्यकारी हो।
(5.) शिक्षा नीति का स्वरूप सृजनात्मक तथा उत्पादक हो, जो जिज्ञासा व मौलिक चिन्तन को प्रोत्साहित करे।
(6.) यह मानवीय साधनों के समुचित विकास में छात्रों में व्यापक व विस्तृत मानसिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968,

कोठारी आयोग के रिपोर्ट के आधार पर केवल 9 पृष्ठों में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट है, जिसके मूल बिन्दु या मूल तत्व निम्न है—

(1.) निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा
(Free and Compulsory Education)
2.) अध्यापकों के स्तर में उन्नति
(Raising the Status of Teachers)
(3.) भाषाओं का विकास
(Development of Languages)
(4.) शैक्षिक अवसरों की समानता
(Equalisation of Opportunities)
(5) प्रतिभा का विकास
(Development of Talent)
(6) कार्यानुभव व समाज सेवा
(Work Experience and Social Service)

(7.) विज्ञान की शिक्षा व अनुसंधान
(Science Education and Research)
(8.) कृषि व उद्योग की शिक्षा
(Education of Agriculture and Industry)
(9.) पुस्तकों का प्रकाशन
(Publication of Books)
(10.) परीक्षा व मूल्यांकन
(Evaluation of Examination)
(11.) माध्यमिक शिक्षा में सुधार
(Improvment in Secondary Education)
(12.) विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा
(University Level Education)
(13.) अंशकालीन शिक्षा व पत्राचार पाठ्यक्रम
(Part Time Education and Correspondence Courses)
(14.) साक्षरता व प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार
(Expansion of Adult Education and Literacy.)
(15) खेल-कूद
(Games and Sports)

(16) अल्पसंख्यकों की शिक्षा
(Education of Minorities)

(17) शैक्षिक संरचना
(Educational Structure)

24 जुलाई 1968 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की घोषणा किये जाने के कुछ दिन बाद ही भारतीय सरकार ने

Scanned with CamScanner

Camlin Page

अगले वर्षों में अपने प्रान्तों में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू कर दी, परन्तु यह N.P.E. 1968 की मूल भावना के अनुकूल नहीं की जा सकी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस शिक्षा नीति को इमानदारी से लागू करने पर अनेक बार बल दिया, परन्तु संसाधनों की कमी के कारण प्रान्तीय सरकारें इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं कर सकी।

——— × ——— × ———

Scanned with CamScanner